

**कार्यालय संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
उज्जैन संभाग उज्जैन**

क्रमांक/शिक्षा.स्था.3/1888

/मा.शि./2021/

उज्जैन दिनांक 29-12-2021

//आदेश//

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 24.06.2021 को जारी किया गया। इस क्रम में जारी प्रावधिक चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षक के पद पर सामाजिक विज्ञान विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

Sr	NAME	ADDRESS	ROLLNO	RANK	CATE GORY	SELECTED CATAGORY	POSTING PLACE	DISTRICT-BLOCK
1	BHAVNA RATHOR	1 MUNDERI POST MUNDERI MALHARGARH MND MADHYA PRADESH 458664	85014849	13	UR	UR/X/F	MS PAHADI BANGLA-23200603802	RATLAM-SAILANA
2	MAMTA PATIDAR	399 BUDHA WARD NO 10 MALHARGARH MND MADHYA PRADESH 458556	85013625	16	OBC	UR/X/F	HSS EXCELLENCE BOYS SAILANA-23200624503	RATLAM-SAILANA
3	KAN SINGH CHAUHAN	0 GARRAWAD GARRAWAD MALHARGARH MND MADHYA PRADESH 458556	85020519	21	OBC	GF/UR/X/OP	MS GIRLS SAILANA-23200604538	RATLAM-SAILANA
4	OM PRAKASH PATIDAR	VILLEGE DHARONIYA POST DHARONIYA DHARONIYA PIRAWA JHALAWAR RAJASTHAN 326034	84899268	27	UR	UR/X/OP	BMS RAOTI-23200218609	RATLAM-BAJNA
5	KAMAL SINGH CHOUHAN	.153 DEEPAKHEDA POST DEEPAKHEDA SITAMAU MND MADHYA PRADESH 458389	85024968	37	EWS	UR/X/OP	HS BASINDRA-23200621812	RATLAM-SAILANA
6	PRATIBHA NAMDEV	08 CHHIPA GALI MARG SOMWARIYA KHILCHIPUR TEHSIL KHILCHIPUR RJH MADHYA PRADESH 465679	84669702	152	OBC	OBC/X/F	HS BAJRANG GARH-9990582	RATLAM-BAJNA



7	RAMESH CHANDRA DANGI	00 VILL POST BHANPURA ZIRAPUR ZIRAPUR RJH MADHYA PRADESH 465693	85112887	169	OBC	GF/UR/X/OP	MS GIRLS SARVAN-23200603106	RATLAM-SAILANA
8	RAMU VISHWAKAR MA	192 BILLOD ROAD NAHARGARH SITAMAU MND MADHYA PRADESH 458558	85014652	309	OBC	OBC/LH/OP	MS SEMLIYA-23200202602	RATLAM-BAJNA
9	NUPUR MALVIYA	60 SAWARIYA PARISAR NANAKHEDA INDORE ROAD UJJAIN UJJAIN UJJ MADHYA PRADESH 456010	85114001	376	SC	SC/X/F	MS SARVAN-23200603107	RATLAM-SAILANA
10	KAMLESH SINGAD	121/1 GRAM SARWAN POST SARWAN SAILANA RAT MADHYA PRADESH 457550	85031839	451	ST	ST/X/F	MS GIRLS SARVAN-23200603106	RATLAM-SAILANA
11	ISHWAR PANWAR	12 TOLL TAX KE PAAS UJJAIN ROAD AGAR MALWA AGM MADHYA PRADESH 465441	85110192	825	SC	SC/X/OP	MS BARDA-23200613102	RATLAM-SAILANA
12	MAYA DEVDA	BHATKHEDI NAKA YATUJI MANDIR KE SAMNE MANASA MANASA NEM MADHYA PRADESH 458110	85021653	917	OBC	GF/OBC/X/F	HS GURBHELI-23200611107	RATLAM-SAILANA
13	KAUSHALYA KUNWAR	HINGORIYA CHHOTA SARWANIY MALHARGARH MALHARGARH MND MADHYA PRADESH 458556	85015313	973	EWS	GF/EWS/X/F	HSS BERDA-23200612209	RATLAM-SAILANA
14	RANJEET PARMAR	82/1 GRAM SODANG POST SODANG GHATIYA UJJ MADHYA PRADESH 456006	85117090	1368	SC	GF/SC/X/OP	MS KARIYA-23200604303	RATLAM-SAILANA
15	MITHLESH DOHARE	0000 VILLAGE ROOR POST UMARI BHIND BHD MADHYA PRADESH 477331	84852610	1539	SC	SC/X/F	MS BHAMAT-23200615702	RATLAM-SAILANA
16	SUNIL BAGRI	28 VILL SINDPAN VILL SINDPAN MANDSAUR MND MADHYA PRADESH 458664	85021937	1607	SC	SC/X/OP	H S Gadavadiya-23200221804	RATLAM-BAJNA
17	SARLA DEVI	NAYAPURA JAMNA ROAD - BHIND BHD MADHYA PRADESH 477001	84841559	1643	SC	SC/X/F	MS GRILS BANDRIYA KA MAL-23200612803	RATLAM-SAILANA

2 km

18	PAYAL CHARJ	102 TALAIYA MOHALLA GUNA GUNA GUN MADHYA PRADESH 473001	84691583	1950	SC	SC/X/F	H S Tamboliya- 23200221704	RATLAM- BAJNA
19	RADHE SHYAM MEHAR	290/1 KEWDA SWAMI ROAD AGAR AGAR AGAR AGM MADHYA PRADESH 465441	84880367	2231	SC	SC/X/OP	MS CHIRAKHADAN- 23200601804	RATLAM- SAILANA
20	PRABHA DEVI	0 INFRONT NEW AMBEDKAR PARK SIDDHARTH COLONY DATIA DAT MADHYA PRADESH 475661	84846070	2992	SC	SC/X/F	HS CHHAVANI JHODIYA- 23200203403	RATLAM- BAJNA
21	SHYAM SUDARSHAN SOLANKI	00 AKODARA AKODARA DALOUDA MND MADHYA PRADESH 458667	85024685	3130	SC	GF/SC/X/OP	MS DHAMUKA- 23200610301	RATLAM- SAILANA
22	PUJA CHANDEL	NIL RAILWAY STATION KE SAMNE RUTHIYAI DIST GUNA RAGHOGARH GUN MADHYA PRADESH 473110	84700241	3249	SC	SC/X/F	HS DEWLA- 23200220905	RATLAM- BAJNA
23	HARIRAM BHIL	GRAM JAISALMER POST GAWRI TEHSIL RAGHOGARH RAGHOGARH GUN MADHYA PRADESH 473287	84676471	3643	ST	ST/X/OP	HS GHODAKHEDA- 23200212102	RATLAM- BAJNA
24	JAG DISH	392 BHENSODA BHENSODA NALKHEDA AGM MADHYA PRADESH 465445	85112472	4033	ST	ST/X/OP	HS KELKACHH- 23200201705	RATLAM- BAJNA
25	SHAKUNTALA RATHORE	265/1 MAYUR NAGAR MUSAKHEDI INDORE IND MADHYA PRADESH 452001	84896017	4416	ST	ST/X/F	HS NAYAN- 23200215707	RATLAM- BAJNA

3. उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छठवां वेतनमान 9300-34800 + 3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800-103600 के न्यूनतम वेतन रूपये 32800/-, अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क. (ब) के अनुक्रम में म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वृत्तमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा पर की जाती है । परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक न करने पर म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) के तहत कार्यवाही की जा सकेगी ।

5. संबंधित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.205 के नुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों /कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी ।

6. संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी । माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूलप्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे । अभिलेखों का सम्यापन मूल दस्तावेज से जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे जिसकी सूची निम्नानुसार है :-

I. नियुक्ति आदेश

- 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाई नंबर, ई-मेल एड्रेस
- II. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS)
- III. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- IV. निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैद्य प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है । अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
- V. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
- VI. शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती प्रति
- VII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- VIII. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोरकार्ड
- IX. चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट-एक)

7. संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे । नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसका किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी । नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा



नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

9. परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हते, निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा।
10. परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।
11. संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्य स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
12. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा।
13. आवासीय विद्यालयों में जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।
14. संबंधित अभ्यर्थी के पदस्थ संस्था में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की दशा में जिले में अन्य संस्थाओं में रिक्त विषय के पद पर पदस्थ किया जावेगा।
15. सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला रतलाम जिले में विषयवार माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। बिन्दु 14 के अनुसार संशोधित पदस्थापना की जावेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।



(रंजना सिंह)

संभागीय उपायुक्त
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विभाग
उज्जैन संभाग उज्जैन

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य म.प्र. भोपाल ।
6. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन ।
7. कलेक्टर उज्जैन / देवास / रतलाम / शाजापुर / आगर मालवा / मंदसौर / नीमच म.प्र. ।
8. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य रतलाम एवं जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास जिला उज्जैन / देवास / शाजापुर / आगर मालवा / मंदसौर / नीमच की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें । दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता / पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें ।
9. जिला कोषालय अधिकारी उज्जैन / देवास / रतलाम / शाजापुर / आगर मालवा / मंदसौर / नीमच म.प्र. ।
10. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन / देवास / रतलाम / शाजापुर / आगर मालवा / मंदसौर / नीमच म.प्र. ।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. / हाई स्कूल जिला उज्जैन / देवास / रतलाम / शाजापुर / आगर मालवा / मंदसौर / नीमच म.प्र. ।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त / जिला संयोजक को अपनी उपस्थिति देवें ।


संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
उज्जैन संभाग उज्जैन